संख्या-109/2022/885/002-23-9-2022-4अन्य/2018टीसी

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 30 अगस्त, 2022

विषय वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/ मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के 09 चालू कार्यो पर धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार अनजुड़ी बसावट योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 09 कार्यो हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में तालिका के स्तम्भ-10 के अनुसार कुल रू0 2,11,51,000/- (रूपये दो करोड़ ग्यारह लाख इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्रम सं0	मुख्य अभियंता(मु0-1) का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत मूल/ लागत	अब तक आवंटित धनराशि	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1101/CE-HQ1/AV/PRJ/2022-23 Dt- 18-08-2022	प्रतापगढ़	मदरा सम्पर्क मार्ग।(1557)	59/2017/आ0-96/23-9-2017-01अन्य/2017, दि-26.12.2017	29.5	23.63	0.24	5.63	5.63
2	1103/CE-HQ1/AV/MIR/2022-23 Dt- 18-08-2022	मिर्जापुर	घसड़ा सम्पर्क मार्ग किमी0-2 से दायें बामी (पछौरा फटहवा) सम्पर्क मार्ग	38/2021/आ0-148/23-9-2020-04स0मा0/2020	155.4	124.32	4.53	26.55	26.55
3	1167/CE-HQ1/AV/BAR/2022-23 Dt- 20-08-2022	पीलीभीत	भटपुरवारजवाहा पर ग्राम मवैईया से फिरशा चुर्राह तक छूटी कड़ी का नवनिर्माण कार्य।	42/2021/आ0-146/23-9-2020-03स0मा0/2020	202.25	161.8	3.98	36.47	3.07
4	1168/CE-HQ1/AV/ADY/2022-23 Dt- 20-08-2022	अमेठी	चिलौली सम्पर्क मार्ग कि0मी0-1 से सातनपुर मजरे पूरे आजादपुर आदमपुर सम्पर्क मार्ग	38/2021/आ0-148/23-9-2020-04स0मा0/2020	111.37	72.27	0.17	38.93	38.93
5	1168/CE-HQ1/AV/ADY/2022-23 Dt- 20-08-2022	अमेठी	पाली उरेरमऊ सम्पर्क मार्ग कि0मी0-8 से उरेरमऊ के मजरे पूरब बखरासम्पर्क मार्ग	38/2021/आ0-148/23-9-2020-04स0मा0/2020	110.42	72.08	0.36	37.98	37.98
6	1169/CE-HQ1/AV/GKP/2022-23 Dt- 20-08-2022	महाराजगंज	सी0एस0एन0टी0एन0 से हरपुर पकडी में डाढ़ टोला मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (2275)	59/2018/आ0-40/23-9-2018-03अन्य/2018, दि-03.08.2018	85.74	68.59	0.76	16.39	16.00
7	1170/CE-HQ1/AV/GON/2022-23 Dt- 20-08-2022	बहराइच	नानपारा-मिहीपुरवा-कतर्नियाघाट प्र0जि0मा0 के कि0मी0-10 से बायें हंसुलिया भिउराउर्रा सम्पर्क मार्ग -	38/2021/आ0-148/23-9-2020-04स0मा0/2020	206.93	165.54	3.24	38.15	38.15

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रम सं0	मुख्य अभियंता(मु0-1) का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत मूल/ लागत	अब तक आवंटित धनराशि	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			कि0मी0-3 से बायें भिउरा वीरघाट यराजस्व ग्रामभिउरा - वीरघाट सम्पर्क मार्ग						
8	1170/CE-HQ1/AV/GON/2022-23 Dt- 20-08-2022	बलरामपुर	फरूहवा कलुआभारीसेदक्षिण तरफ भकला सम्पर्क मार्ग	11/2019/343/23-9-2019-01अन्य/2018टी0सी0	142.36	113.89	0.12	28.35	28.35
9	1170/CE-HQ1/AV/GON/2022-23 Dt- 20-08-2022	गोण्डा	तरबगंत अमदही मार्ग से कोटिया पूरेतारा होते हुए पी0डी0 बांदा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	11/2019/343/23-9-2019-01अन्य/2018टी0सी0	122.68	105.48	0.35	16.85	16.85
				योग					**211.51**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गो को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,11,51,000 (रुपये दो करोड़ ग्यारह लाख इक्यावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371500 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुननिर्माण/मिसिंग लिंकएवं अन्य ग्रामीण मार्गों के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन।

संख्या-109/2022/885(1)/002-23-9-2022-4अन्य/2018टीसी तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।